"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च 2010—फाल्गुन 14, शक 1931

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-22/2009/20-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2009 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ ;

   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, ऐसी समिति जो इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जायेगी ;

   (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;

   (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5 (पच्चीस)/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग ;

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा (स्कूल स्तरीय सेवा) ;

(ञ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ ;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना :—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) भर्ती नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन :—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् —

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों।

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि :—** सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी ।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थाई या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका :—** (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा के मूल सदस्यों को निम्न श्रेणी संवर्ग से उच्च श्रेणी संवर्ग में पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हो, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप-नियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा-विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जावेगी।

(4) उप–नियम (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति के साथ, सेवा में भर्ती के उन तरीको को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जो इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

7. **सेवा में नियुक्ति** :– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्ते** :– परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन किये जाने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

1. आयु–

(क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में निर्धारित आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

(ग) सीधी भर्ती के समस्त कर्तव्य पदों पर महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, परंतु सामान्य उच्चतर आयु सीमा में विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को 5 (पांच) वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जावेगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों, तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी/स्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक ईकाइयों की अस्थायी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना मे कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(चार) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :–शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो ।

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें ;

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हे उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है।

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य

करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी है, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ज) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी स्थिति में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(झ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक आधार पर आयु सीमा में छूट दिये जाने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा 45 (पैंतालीस) वर्ष से अधिक नही होगी।

(ट) सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समयं समय पर जारी किये गये निर्देश भी लागू होंगे।

टीप (1) :- उपरोक्त नियम 8 (1) (घ) (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया जाता हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे ।

टीप (2) :- विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(2) शैक्षणिक अर्हतायें :— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शाई गई है।

(3) फीस :— अभ्यर्थी को संचालक, लोक शिक्षण द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हता** :— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा परीक्षा में चयन के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा** :— परीक्षा में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने की अनुमति नही दी जायेगी।

11. **सीधी भर्ती द्वारा चयन** :— (1) सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए एक समिति होगी जिसमें सदस्यता पदोन्नति द्वारा चयन के लिए समिति के समान होगी।

(2) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे।

(3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार के पश्चात्/के द्वारा किया जायेगा।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, के लिए सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों के कमशः 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत आरक्षित रहेंगे तथा महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण 30 प्रतिशत होगा।

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य है, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम गें उनके नाम गियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(6) अंनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हे प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गया है, उप–नियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(7) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थी उनके लिए समस्त आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां अन्य अभ्यर्थियों के बीच से नहीं भरी जायेगी किन्तु तथा शेष रिक्तियों के समतुल्य जिसके लिए इन संवर्गों के अभ्यर्थी शेष रिक्तियों की पूर्ति के

लिए उपलब्ध न हो तो वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आगामी दूसरे चयन हेतु आरक्षित रहेंगी।

परन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, समस्त आरक्षित रिक्तियों जिसमें अतिरिक्त रिक्तियां सम्मिलित है, को भरने के लिए आगामी दूसरे चयन के समय भी उपलब्ध न हो तो अतिरिक्त रिक्तियां या ऐसी रिक्तियां नहीं भरी जाती है तो व्यपगत हो जायेगी।

12. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :—** (1) समिति उन अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हो जैसा की समिति अवधारित करे, योग्यता कम में बनाई गई एक सूची तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया हो, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जावेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम सूची में आये हो।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंम्भिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्य होंगे ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालो में होगी जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार रोस्टर लागू किया जाएगा।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार रहेगी।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें :—** (1) समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदो पर जिनसे पदोन्नति की जानी है उतने वर्षो की सेवा चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप से जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो।

15. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना :—** (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के

लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन, सभी मामलों में वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए योग्यता तथा उपयुक्तता के आधार पर किया जायेगा।

(3) प्रत्येक चयन सूची के तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पद में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

परन्तु कोई कनिष्ठ व्यक्ति जो समिति की राय में असाधारण योग्य एवं उपयुक्त हो, उसे उसके वरिष्ठ व्यक्तियों की तुलना में उच्चतर स्थान सूची में समनुदेशित किया जा सकेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी।

(5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो तो समिति प्रस्तावित अवक्रमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी।

स्पष्टीकरणः– ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो केवल उनके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. चयन सूची पर संचालक, लोक शिक्षण का अनुमोदनः– नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची निम्नलिखित के साथ नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगीः–

(1) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख ।

(2) अनुसूची–चार के कॉलम **(2)** में उल्लिखित सेवा के ऐसे सदस्यों के अभिलेख जिनका समिति के सिफारिशों के अनुसार अवक्रमण किया जाना हो।

(3) अनुसूची–चार के कॉलम **(2)** में उल्लिखित प्रस्तावित अवक्रमण के लिए समिति द्वारा यथा अभिलिखित कारण।

17. चयन सूची :– **(1)** नियुक्ति प्राधिकारी को समिति द्वारा प्रेषित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम **(2)** में उल्लिखित पद से, कॉलम **(3)** में उल्लिखित पद पर पदोन्नत करने के लिए अंतिम सूची होगी ।

(2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नही किया जाता।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।।

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा—संवर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे सदस्यों के नाम चयन सूची में आये हों।

परन्तु जहां प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नही है, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि रिक्तियां अंतिम तीन माह से अधिक अवधि के लिये संभाव्य नहीं है।

19. परिवीक्षा :— सेवा में सीधी भर्ती किये गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा. ।

20. निर्वचन :— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

21. शिथिलीकरण :— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उ न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है ।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति अपेक्षा उसके लिये क्रम अनुकूल हो ।

22. निरसन और व्यावृत्ति :— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप–सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

लिपिक वर्गीय श्रेणी –

स.क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी	5500-9000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
2	सहायक अधीक्षक	04	तृतीय श्रेणी	5500-9000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
3	मुख्य लिपिक (जिला)	20	तृतीय श्रेणी	4500-7000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
4	सहायक ग्रेड–I	51	तृतीय श्रेणी	4500-7000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
5	सहायक ग्रेड– II / लेखापाल	1879	तृतीय श्रेणी	4000-6000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
6	सहायक ग्रेड– III	2662			
	(1) लोक शिक्षण संचालनालय		तृतीय श्रेणी	3050-4590	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
	(2)जिला शिक्षा कार्यालय		तृतीय श्रेणी	3050-4590	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
7	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	21	तृतीय श्रेणी	5000-8000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
8	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	43	तृतीय श्रेणी	4000-6000	संचालक लोक शिक्षण रायपुर
9	स्टेनो ग्रेड– I	01	तृतीय श्रेणी	6500-10500	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
10	स्टेनो ग्रेड– II	08	तृतीय श्रेणी	5500-9000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
11	स्टेनो ग्रेड– III	15	तृतीय श्रेणी	4500-7000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
12	स्टेनो टायपिस्ट	03	तृतीय श्रेणी	3050-4590	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर

अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

स.क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (संचालक लोक शिक्षण)	02	तृतीय श्रेणी	5500-9000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
2	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (जिला शिक्षा कार्यालय)	20	तृतीय श्रेणी	5500-9000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
3.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा) (संचालक लोक शिक्षण)	01	तृतीय श्रेणी	5000-8000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर

4	वरिष्ठ पी टी आई (शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय)	04	तृतीय श्रेणी	5000-8000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
5	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान (1) जिला ग्रंथालय हेतु (2) संचालनालय लोक शिक्षण हेतु	 08 01	 तृतीय श्रेणी तृतीय श्रेणी	 4500-7000 4550-7000	 संचालक, लोक शिक्षण संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
	(3) शारीरिक शिक्षा हेतु	01	तृतीय श्रेणी	4550-7000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
6	अन्वेषक	61	तृतीय श्रेणी	4000-6000	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
7	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संचालनालय लोक शिक्षण हेतु)	05	तृतीय श्रेणी	3050-4590	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
8	डाटा एन्ट्री आपरेटर (जिला हेतु)	111	तृतीय श्रेणी	3500-5200	जिला शिक्षा अधिकारी
9	वाहन चालक (संचालनालय लोक शिक्षण हेतु)	05	तृतीय श्रेणी	3050-4590 2610-3540	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
10	वाहन चालक (जिला हेतु)	05	तृतीय श्रेणी	3050-4590	जिला शिक्षा अधिकारी

अनुसूची—दो

लिपिक वर्गीय श्रेणी –

स.क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 7 देखिये)	सेवा में मूल अस्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 देखिए)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अधीक्षक	01	-	100%	—
2	सहायक अधीक्षक	04	-	100%	—
3	मुख्य लिपिक (जिला)	20	-	100%	—
4	सहायक ग्रेड– I	51	25%	75%	कुल पदों मे से 25% पद ऐसे सहायक ग्रेड–II से विभागीय सीमित परीक्षा द्वारा भरा जायेगा जो स्नातक हो तथा पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो ।
5	सहायक ग्रेड– II	1879	-	100%	—
6	सहायक ग्रेड–III (1)लोक शिक्षण संचालनालय (2)जिला शिक्षा अधिकारी	2662	75%	25%	—
7	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	21		100%	—
8	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	43	-	100%	—
9	स्टेनो ग्रेड– I	01	-	100%	
10	स्टेनो ग्रेड– II	08	-	100%	
11	स्टेनो ग्रेड– III	15	80%	20%	—
12	स्टेनो टायपिस्ट	03	100%	-	—

अलिपिक वर्गीय श्रेणी–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक सांख्यिकीय	02	-	-	प्रतिनियुक्ति द्वारा

	अधिकारी (संचालक लोक शिक्षण)				
2	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (जिला शिक्षा कार्यालय)	20	-	100%	-
3	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा) (संचालनालय लोक शिक्षण)	01	100%	-	-
4	वरिष्ठ पी टी आई (शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय)	04	-	100%	-
5	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान (1) जिला ग्रंथालयों हेतु (2) संचालनालय लोक शिक्षण हेतु (3) शारीरिक शिक्षा हेतु	 08 01 01	 - - -	 100% 100% 100%	 - - -
6	अन्वेषक	61	100%	-	-
7	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संचालनालय लोक शिक्षण)	05	100%	-	-
8	डाटा एन्ट्री आपरेटर (जिला हेतु)	111	100%	-	-
9	वाहन चालक (संचालनालय लोक शिक्षण हेतु)	05	100%	-	-
10	वाहन चालक (जिला हेतु)	05	100%	-	-

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

लिपिक वर्गीय श्रेणी –

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां / चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अधीक्षक	21	60	1 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। 2 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **या** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिग्री / डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	–
2	सहायक अधीक्षक	21	60	1 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। 2 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **या** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिग्री / डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	–
3	मुख्य लिपिक (जिला)	21	60	1 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। 2 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **या** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिग्री / डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	–
4	सहायक ग्रेड– I	21	60	1 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण।	

				2 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **या** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	
5	सहायक ग्रेड–II	21	60	1 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **या** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	–
6	सहायक ग्रेड–III (1)संचालनालय लोक शिक्षण (2) जिला शिक्षा कार्यालय	18	35	1 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **या** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	**संचालनालय हेतु–** 1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना **जिला हेतु–** 1.अध्यक्ष–जिला शिक्षा अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित 2. सदस्य– एक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी 3. सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना
7	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	21	60	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. लेखा परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **या** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से	–

				आपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	
8	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. लेखा परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **या** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	—
9	स्टेनो ग्रेड–I	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25–100 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **यां** किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन मुद्रलेखन उत्तीर्ण। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	—
10	स्टेनो ग्रेड–II	18	60	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25–100 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **या** किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या	—

				संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन मुद्रलेखन उत्तीर्ण। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	
11	स्टेनो ग्रेड–III	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25–100 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी शीघ्रलेखन/ मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **या** किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन मुद्रलेखन उत्तीर्ण। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	
12	स्टेनो टायपिस्ट	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 25–100 शब्द प्रति मिनट, हिन्दी शीघ्रलेखन/ मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। **या** किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन मुद्रलेखन उत्तीर्ण। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	

अलिपिक वर्गीय श्रेणी –

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां / चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (संचालनालय लोक शिक्षण)	21	35	1.अर्थशास्त्र / वाणिज्य / गणित / सांख्यिकी पेपर सहित मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। **या** 2.सांख्यिकी पेपर में स्नातकोत्तर डिग्री।	–
2	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (जिला शिक्षा कार्यालय)	21	35	1.अर्थशास्त्र / वाणिज्य / गणित / सांख्यिकी पेपर सहित मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। **या** 2.सांख्यिकी पेपर में स्नातकोत्तर डिग्री।	–
3	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा) (संचालनालय लोक शिक्षण)	18	35	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर साईस तथा इन्फारमेशन टेक्नालॉजी में डिग्री तथा कम्प्यूटर सेंटर से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में एक वर्ष का अनुभव। **या** 2. गणित / भौतिकी / सांख्यिकी विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री के साथ पी.जी.डी.सी.ए. तथा कम्प्यूटर सेंटर से एक वर्ष का अनुभव।	1.अध्यक्ष–संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव–सहायक संचालक स्थापना
4	वरिष्ठ पी टी आई (शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय)	21	60	1. स्नातक डिग्री तथा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा। 2. शासकीय / पंचायत शाला में न्यूनतम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव। 3. शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्रीधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।	1.अध्यक्ष–संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य सचिव– उप संचालक लोक शिक्षण 3. सदस्य–संचालक एस.सी.ई.आर.टी. का प्रतिनिधि 4.सदस्य–प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय
5	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान (1) जिला ग्रंथालय हेतु (2) संचालनालय लोक शिक्षण हेतु (3) शारीरिक शिक्षा हेतु		60	1. स्नातक डिग्री तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री / डिप्लोमा। 2. शासकीय शाला में तीन वष ग्रंथपाल का अनुभव।	1.अध्यक्ष–संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य सचिव– उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य– संचालक एस सी ई आर टी का प्रतिनिधि
6	अन्वेषक	18	35	अर्थशास्त्र / गणित वाणिज्य में हायर सेकेण्डरी परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।	1 अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित

				डी.सी.ए. उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जायेगी।	2. सदस्य–एक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी 3. सदस्य सचिव–सहायक संचालक स्थापना
7	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संचालनालय लोक शिक्षण हेतु)	18	35	1. गणित/भौतिकी/सांख्यिकी में न्यूनतम 50% अंक सहित स्नातक डिग्री तथा किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर सेंटर से प्रोग्रामिंग का एक वर्ष का अनुभव भी रखते हो। **या** कम्प्यूटर साईस, इन्फरमेशन टेक्नालॉजी में डिग्री/डिप्लोमा एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में एक वर्ष का अनुभव। **या** पॉलीटेक्नीक से किसी भी विषय में डिप्लोमा/डिग्री तथा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में एक वर्षीय प्रमाण पत्र भी रखते हो। **नोट** :– डाटा एन्ट्री आपरेटर का 10,000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होना आवश्यक है। (कोबोल/पास्कल/एम.एस. ऑफिस/पेज मेकर आदि तथा नवीनतम आपरेटिंग सिस्टम से संबंधित ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।	**संचालनालय हेतु**– 1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना **जिला हेतु**– 1.अध्यक्ष–जिला शिक्षा अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित 2. सदस्य– एक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना
8	वाहन चालक (संचालनालय लोक शिक्षण हेतु)	18	35	1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। 2. भारी तथा हल्के वाहन चालन हेतु ड्रायविंग लाईसेंस रखता हो।	

अनुसूची–चार

लिपिक वर्गीय श्रेणी –

स. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	1.अध्यक्ष–, संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	–
2	सहायक ग्रेड–I	सहायक अधीक्षक	पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	–
3	सहायक ग्रेड–I	मुख्य लिपिक	पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	–
4	सहायक ग्रेड–II	सहायक ग्रेड–I	पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	–
5	सहायक ग्रेड–III	सहायक ग्रेड–II, लेखापाल एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक	पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	लेखापाल, कनिष्ठ लेखा परीक्षक एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक में पदोन्नति हेतु लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
6	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण	–

				3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	
7	सहायक ग्रेड–III	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	–
8	स्टेनो ग्रेड–II	स्टेनो ग्रेड–I	पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	–
9	स्टेनो ग्रेड–III	स्टेनो ग्रेड–II	पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	–
10	स्टेनो टायपिस्ट	स्टेनो ग्रेड–III	पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	1.अध्यक्ष–संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	–
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भृत्य नियमित)	सहायक ग्रेड–III	पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	**संचालनालय हेतु–** 1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना **जिला हेतु–** 1.अध्यक्ष–जिला शिक्षा अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित 2. सदस्य– एक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी 3. सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	जिला एवं संचालनालय के सहायक ग्रेड–III के स्वीकृत पदों के 25% भृत्य नियमित को पदोन्नति दी जावेगी।

अलिपिक वर्गीय श्रेणी –

स. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अन्वेषक	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	05 वर्ष	1.अध्यक्ष–जिला शिक्षा अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित 2. सदस्य– एक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी 3. सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	—
2	कनिष्ठ पी टी आई निम्न वेतनमान	वरिष्ठ पी टी आई उच्च वेतनमान	05 वर्ष	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	विभागीय पात्र पीटीआई निम्न वेतनमान के अनुपातिक अनुपलब्धता के मामले में, उसी अनुपात में शिक्षा कर्मी ग्रेड–III को सीमित परीक्षा के द्वारा पदोन्नति दी जायेगी।
3	ग्रंथपाल निम्न वेतनमान	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान	05 वर्ष	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	विभागीय ग्रंथपाल निम्न वेतनमान को पदोन्नति दी जायेगी। जिस अनुपात में अनुपलब्ध होंगे, उसी अनुपात में शालाओं के ग्रंथपाल / शिक्षा कर्मी ग्रेड–III को सीमित परीक्षा द्वारा पदोन्नति दी जायेगी।
4	डाटा एन्ट्री आपरेटर निम्न वेतनमान	डाटा एन्ट्री आपरेटर उच्च वेतनमान	05 वर्ष	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव–सहायक संचालक स्थापना	—
5	डाटा एन्ट्री आपरेटर निम्न वेतनमान	डाटा एन्ट्री आपरेटर उच्च वेतनमान	05 वर्ष	1.अध्यक्ष– जिला शिक्षा अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित 2. सदस्य–एक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी 3. सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	—

6	चालक वर्ग निम्न वेतनमान	चालक वर्ग उच्च वेतनमान	05 वर्ष	1.अध्यक्ष– संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित 2.सदस्य–उप संचालक लोक शिक्षण 3.सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	—
7	चालक वर्ग निम्न वेतनमान	चालक वर्ग उच्च वेतनमान	05 वर्ष	1.अध्यक्ष–जिला शिक्षा अधिकारी .या उनके द्वारा नामांकित 2. सदस्य– एक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी 3. सदस्य सचिव– सहायक संचालक स्थापना	—

Raipur, the 5th March 2010

NOTIFICATION

No. F 4-22/2009/20-2.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Education Department Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Services, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement. - (1)** These rules may be called the Chhattisgarh Education Department Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2009.
   (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Chhattisgarh gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise, requires,-
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director, Public Instruction Chhattisgarh;
   (b) "Committee" means the Committee that will be constituted by the Appointing Authority for recruitment or promotion under these rules;
   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (e) "Schedule" means the Schedule appendent to these rules;
   (f) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this state under Article – 341 of the Constitution of India;
   (g) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this state under Article – 342 of the Constitution of India;
   (h) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizen as specified by the State Government vide notification number F 8-5 (XXV)/ 4/ 84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
   (i) "Service" means the Chhattisgarh Education Department Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service (School level service);

(j) "Director" means Director, Public Instruction Chhattisgarh;
(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and Application. - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Recruitment Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of the Service. - The Service shall consist of the following persons, namely:-

(i) Persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the schedule-I;
(ii) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
(iii) Persons recruited to the services in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay etc. - The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of post included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the schedule-I.

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment. - **(1)** Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment by competitive examination/selection;
(b) by promotion of substantive members of Chhattisgarh School Education Service from a lower cadre to a higher cadre as specified in Schedule-IV;
(c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in schedule-II of the number of duty posts as specified in schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or

vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.** - All appointment to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6..

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.** - In order to be eligible to compete/selection at the examination, candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age. -

(a) He must have attained the age as prescribed in column (3) of schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the 1st day of January next following the date of the commencement of examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (Five) years if a candidate belongs to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit for female candidates shall also be relaxable up to 10 years on all duty post of direct recruitment but an additional relaxation of 5 (Five) years in general upper age limit shall be given to widow, destitute or divorced female candidates.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project implementing committee;

(iii) A candidate who is "retrenched government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary / permanent services previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (Three) years;

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years;

Explanation- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service:-

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions,

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on
  (a) Completion of short term engagement
  (b) Full filling the condition of enrolment;

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit,
(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short-service regular commissioned officers,
(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,
(6) Ex-Serviceman invalidated out of service,
(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,
(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(e) The upper age limit shall be relaxable up to two years in respect of Green card holder candidates under the family welfare programme ;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste Marriage Incentive Scheme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 38 (Thirty Eight) years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations / Boards;

(h) The upper age limit shall be relaxable in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 (Eight) years but in no case their age should exceed 38 (Thirty Eight) years;

(i) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 (Five) years in respect of Shaheed Rajeev Pandey Award, Gundadhur Samman, Maharaja Praveer Chandra Bhanjdev Samman holder candidates and National Youth Award holder young candidates ;

(j) After providing relaxation in the age limit on the basis of any one or more of the above for entering in Government Service, the age limit of 45 (Forty Five) years shall not exceed ;

(k) The directions issued by the General Administration Department of the Government from time to time also shall be applicable;

Note (1).- The candidates who are admitted to the examination / selection under the age concessions mentioned in rule 8 (1)(d) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination / selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note (2).- Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear in the examination.

(2) Educational Qualification. – The candidate must posses the educational qualification prescribed for the service as shown in schedule-III.

(3) Fee. - The candidate must pay the fees prescribed by the Director, Public Instruction.

9. **Disqualification.** – Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the committee constituted by the Appointing Authority to disqualify him for selection to the examination.

10. **The decision of Appointing Authority as to the eligibility of candidates shall be final.** – The decision of Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/selection.

11. **Selection by Direct Recruitment.** – **(1)** There shall be a committee for selection by direct recruitment in which membership will be similar to committee for selection by promotion.

    (2) Selection for recruitment to the service shall be made at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine.

    (3) The selection of candidates for the service shall be made by after competitive examination and after interview by the selection committee.

(4) 16 percent, 20 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are member of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and 30 percent reservation for Women candidates for respective classes.

(5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred in the rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and declared to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may under sub-rule (3).

(7) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from amongst other candidates but and equivalent number of the remaining vacancies for which candidate of these categories are not available remained unfilled, they shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next two selections:

Provided that if sufficient numbers of suitable candidates are not available at the time of next second selection also to fill all the reserved vacancies including the additional vacancies, the additional vacancies or such of them, as are not filled, shall lapse .

12. **List of candidates recommended by the Committee. - (1)** The Committee shall forward to the Appointing Authority a list arranged in order of merit of the candidates who may have qualified by such standards as the committee may be determine and the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, who though not qualified by that standard, but are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of the administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion.** - (1) There shall be constituted a committee consisting of members mentioned in Schedule-IV, for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Roster shall be applicable in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(4) The procedure for making promotion to the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by the Government in the General Administration Department from time to time.

14. **Conditions regarding eligibility for Promotion.** - The committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of the year, had completed number of years of service, whether officiating or substitutive on the post from which promotion is to be made, as specified in column (4) of schedule-IV.

15. **Preparation of the list of suitable candidates.** - **(1)** The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the condition prescribed in rule 14 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the Select list;

(2) The selection for inclusion on such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority;

(3) The names of persons included in the list shall be arranged in the order of seniority in service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of the preparation of each select list ;

Provided that any junior person who in the opinion of the committee, is of exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of the persons senior to him;

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

Explanation:- A person whose name included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Approval of the Director, Public Instruction on Select List.- The list prepared in accordance with rule 15 shall be submitted to the Appointing Authority along with:-

(1) The records of all person included in the list.

(2) The records of such members of the service, who are to be superseded as per recommendations of the committee mentioned in the column (2) of Schedule-IV.

(3) The reasons as recorded by the Committee for the proposed super session mentioned in Column (2) of Schedule-IV.

17. Select list. - (1) The list forwarded by the committee to the Appointing Authority shall be final list for the promotion to the posts mentioned in column (3) from the post mentioned in column (2) of schedule-IV;

(2) The Select list shall ordinarily be enforced until if it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of select list may be made at the instance of Appointing Authority and the committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the service from the select list.- Appointment of the persons included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such members appears in select list:

Provided that, where the administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list may be appointed to the service if the Appointing Authority is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

19. Probation. - Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. Interpretation. - If any question arises relating to the Interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision there on shall be final.

21. Relaxation. - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. Repeal and saving.- All rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

Schedule - I
(See rule 5)

Ministerial Grade -

S. N.	Name of the Post	No. of Post	Classi-fication	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Superintendent	01	III	5500 - 9000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
2	Assistant Superintendent	04	III	5000 - 8000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
3	Head Clerk (District)	20	III	4500 - 7000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
4	Assistant Grade I	51	III	4500 - 7000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
5	Assistant Grade II / Accountant	1879	III	4000 - 6000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
6	Assistant Grade III - (1) Directorate Public Instruction (2) District Education Offices	2662	 III III	 3050 - 4590 3050 - 4590	 Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
7	Senior Accounts Examiner	21	III	5000 - 8000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
8	Junior Accounts Examiner	43	III	4000 - 6000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
9	Steno Grade I	01	III	6500 - 10500	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
10	Steno Grade II	08	III	5500 - 9000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
11	Steno Grade III	15	III	4500 - 7000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
12	Steno Typist	03	III	3050 - 4590	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur

Non-Ministerial Grade -

S. N.	Name of the Post	No. of Post	Classi-fication	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Statistical Officer (Directorate Public Instruction)	02	III	5500 - 9000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
2	Assistant Statistical	20	III	5500 - 9000	Director, Public Instruction

	Officer (District Education Offices)				Chhattisgarh, Raipur
3	Assistant Computer Programmer (Contractual) (Directorate Public Instruction)	01	III	5000 - 8000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
4	Senior PTI (Physical Education College)	04	III	5000 - 8000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
5	Librarian High Pay Scale (1) For District Library (2) For Directorate Public Instruction (3) For Physical Education	 08 01 01	 III III III	 4500 - 7000 4550 - 7000 4550 - 7000	 Director, Public Instruction Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
6	Investigator	61	III	4000 - 6000	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
7	Data Entry Operator (For Directorate Public Instruction)	05	III	3050 - 4590	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
8	Data Entry Operator (For District)	111	III	3500 - 5200	District Education Officer
9	Vehicle Driver (For Directorate Public Instruction)	05	III	3050 - 4590 2610 - 3540	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
10	Vehicle Driver (For District)	05	III	3050 - 4590	District Education Officer

Schedule - II

Ministerial Grade -

S. N.	Name of the Post	No. of Post	Percentage of Posts to be filled		Remarks
			By Direct Recruitment (See Rule 7)	By Promotion of Original Temporary Members in Service (See Rule 06)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Superintendent	01	-	100%	-
2	Assistant Superintendent	04	-	100%	-
3	Head Clerk (District)	20	-	100%	-
4	Assistant Grade I	51	25%	75%	25% post from Total Posts will be filled by departmental Limit Examination from Assistant grade II Graduate and who completed 5 years service.
5	Assistant Grade II	347	-	100%	-
6	Assistant Grade III - (1) Directorate Public Instruction (2) District Education Offices	22 294	75%	25%	-
7	Senior Accounts Examiner	21		100%	-
8	Junior Accounts Examiner	43	-	100%	-
9	Steno Grade I	01	-	100%	-
10	Steno Grade II	08	-	100%	-
11	Steno Grade III	15	80%	20%	-
12	Steno Typist	03	100%	-	-

Non-Ministerial Grade -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Statistical Officer (Directorate Public Instruction)	02	-	-	By Deputation

2	Assistant Statistical Officer (District Education Offices)	20	-	100%	-
3	Assistant Computer Programmer (Contractual) (Directorate Public Instruction)	01	100%	-	-
4	Senior PTI (Physical Education College)	04	-	100%	-
5	Librarian High Pay Scale (1) For District Library (2) For Directorate Public Instruction (3) For Physical Education	08 01 01	- - -	100% 100% 100%	-
6	Investigator	61	100%	-	-
7	Data Entry Operator (For Directorate Public Instruction)	05	100%	-	-
8	Data Entry Operator (For District)	111	100%	-	-
9	Vehicle Driver (For Directorate Public Instruction)	05	50%	50%	-
10	Vehicle Driver (For District)	05	100%	-	-

Schedule - III

Ministerial Grade (See rule 8)

S. N.	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification	Remarks/ Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Superintendent	21	60	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) from any recognized board or institution. **2.** Passed Hindi typing Exam 25 words per minute from any recognized board or institution. **OR** One year degree/diploma in operator/ programming from any recognized institution and Data Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	-
2	Assistant Superintendent	21	60	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) from any recognized board or institution. **2.** Passed Hindi typing Exam 25 words per minute from any recognized board or institution. **OR** One year degree/diploma in operator/ programming from any recognized institution and Data Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	-
3	Head Clerk (District)	21	60	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) from any recognized board or institution. **2.** Passed Hindi typing Exam 25 words per minute from any recognized board or institution. **OR** One year degree/diploma in operator programming from any recognized institution and Data	-

				Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	
4	Assistant Grade I	21	60	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) or Graduation I[st] year from any recognized board or institution. **2.** Passed Hindi typing Exam 25 words per minute from any recognized board or institution. **OR** One year degree/diploma in operator programming from any recognized institution and Data Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	-
5	Assistant Grade II	21	60	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) or Graduation I[st] year from any recognized board or institution. **2.** Passed Hindi typing Exam 25 words per minute from any recognized board or institution. **OR** One year degree/diploma in operator programming from any recognized institution and Data Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	-
6	Assistant Grade III - (1) Directorate Public Instruction (2) District Education Offices	18	35	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) or Graduation I[st] year from any recognized board or institution. **2.** Passed Hindi typing Exam 25 words per minute from any recognized board or institution. **OR** One year degree/diploma in operator programming from any recognized institution and Data Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	**For Directorate -** 1/-Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2/- Member - Deputy Director. 3/- Member Secretary - Assistant Director Establishment **For District -** 1/- Chairman - District Education Officer or nominated by him. 2/- Member – One Block Education officer. 3/- Member Secretary -Assistant Director Establishment.
7	Senior Accounts Examiner	21	60	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) or Graduation I[st] year from any recognized board or institution. **2.** Account Exam Pass. **3.** Passed Hindi typing Exam 25	-

				words per minute from any recognized board or institution. **OR** One year degree/diploma in operator programming from any recognized institution and Data Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	
8	Junior Accounts Examiner	18	35	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) or Graduation I[st] year from any recognized board or institution. **2.** Account Exam Pass. **3.** Passed Hindi typing Exam 25 words per minute from any recognized board or institution . **OR** One year degree/diploma in operator programming from any recognized institution and Data Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	-
9	Steno Grade I	18	35	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) or Graduation I[st] year from any recognized board or institution. **2.** Passed Hindi short hand/ typing Exam 25-100 words per minute from any recognized board or institution . **OR** Passed short hand typing having speed 100 words per minute from any recognized board or institution. One year diploma in Operator / Programming from any recognized institution and Data Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	-
10	Steno Grade II	18	60	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) or Graduation I[st] year from any recognized board or institution. **2.** Passed Hindi short hand/ typing Exam 25-100 words per minute from any recognized board or institution. **OR** Passed short hand typing having speed 100 words per	-

				minute from any recognized board or institution . One year diploma in Operator / Programming from any recognized institution and Data Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	
11	Steno Grade III	18	35	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) or Graduation I[st] year from any recognized board or institution. **2.** Passed Hindi short hand/ typing Exam 25-100 words per minute from any recognized board or institution. **OR** Passed short hand typing having speed 100 words per minute from any recognized board or institution . One year diploma in Operator/ Programming from any recognized institution and Data Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	-
12	Steno Typist	18	35	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2) or Graduation I[st] year from any recognized board or institution. **2.** Passed Hindi short hand/ typing Exam 25-100 words per minute from any recognized board or institution . **OR** Passed short hand typing having speed 100 words per minute from any recognized board or institution. One year diploma in Operator/ Programming from any recognized institution and Data Entry Operator should speed 10,000 depression per hour.	-

Non-Ministerial Grade-

S. N.	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification	Remarks/ Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Assistant Statistical Officer (Directorate Public Instruction)	21	35	1. Post graduate degree in Economics/Commerce/ Maths / Psychology including static paper. **OR** 2. Post graduate degree in static paper.	-
2	Assistant Statistical Officer (District Education Offices)	21	35	1. Post graduate degree in Economics/Commerce/ Maths / Psychology including static paper. **OR** 2. Post graduate degree in static paper.	-
3	Assistant Computer Programmer (Contractual) (Directorate Public Instruction)	18	35	1. Degree in Computer Science and Information Technology from any recognized institution and also one year experience in Computer Programming from Computer Centre. **OR** 2. II[nd] division graduate degree in Maths / Physics /Statistics subject including PGDCA and one year experience from Computer Centre.	1/-Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2/- Member - Deputy Director Public Instruction. 3/- Member Secretary - Assistant Director Establishment
4	Senior PTI (Physical Education College)	21	60	1. Graduate degree and Diploma in Physical Education. 2. Minimum three years teaching experience in the Govt./Panchayat School. 3. Graduate degree in Physical Education will be preferred.	1/- Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2/- Member Secretary - Deputy Director Public Instruction. 3/- Member - Representative of Director SCERT. 4.Member - Principal Education college.
5	Librarian High Pay Scale (1) For District Library (2) For Directorate Public Instruction (3) For Physical Education	-	60	1. Graduation degree and degree/ diploma in Library Science. 2. Three years experience of Librarian in Govt. School.	1/- Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2/- Member Secretary - Deputy Director Public Instruction. 3/- Member - Representative oi Director SCERT.
6	Investigator	18	35	1. Passed II[st] division Higher Secondary Exam in Economics/ Maths/ Commerce. D.C.A. pass will be preferred.	1/- Chairman- District Education Officer or nominated by him. 2/- Member – One Block Education officer. 3/- Member Secretary

					- Assistant Director Establishment.
7	Data Entry Operator (For Directorate Public Instruction)	18	35	**1.** Graduation degree minimum 50% in Maths/Physics/Statistics and also have one year experience of programming from recognized Computer Centre. **OR** Degree/diploma in Computer Science, Information Technology and also have one year experience in computer programming. **OR** diploma /Degree in any subject from Polytechnic and also having one year certificate in Computer Operator and Programming assistant from recognized Industrial Training Institute. NOTE - Data Entry Operator should be 10,000 depression speed per hour is necessary. (Knowledge related to Cobol/Pascal/ MS Office/ Page Maker etc. and New Operation system will be preferred.	**For Directorate -** 1/- Chairman- Director Public Instruction or nominated by him. 2/- Member - Deputy Director Public Instruction. 3/- Member Secretary - Assistant Director Establishment **For District -** 1/- Chairman - District Education Officer or nominated by him. 2/- Member – One Block Education officer. 3/- Member Secretary - Assistant Director Establishment.
8	Vehicle Driver (For Directorate Public Instruction)	18	35	**1.** Passed Higher Secondary Exam (10+2). **2.** Having Driving License for heavy and Light Vehicle Driving.	-

Schedule - IV

Ministerial Grade - (See rule 13,14,15,16 and 17)

S. N.	Name of the Post from which promotion is to be done	Name of the post in which promotion is to be done	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Superintendent	Superintendent	Minimum 03 Years experience for the post	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment	-
2	Assistant Grade I	Assistant Superintendent	Minimum 03 Years experience for the post.	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment	-
3	Assistant Grade I	Head Clerk	Minimum 03 Years experience for the post.	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment	-
4	Assistant Grade II	Assistant Grade I	Minimum 05 Years experience for the post.	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment .	-
5	Assistant Grade III	Assistant Grade II, Accountant and Junior Account Examiner	Minimum 03 Years experience for the post.	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment .	For Promotion in Accountant, Junior Account Examiner and Senior Account Examiner, Accountant Examination should be passed.
6	Junior Account Examiner	Senior Account Examiner	Minimum 03 Years experience for the post.	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2: Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment.	-
7	Assistant Grade III	Junior Account Examiner	Minimum 03 Years experience for the	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant	-

			post.	Director Establishment .	
8	Steno Grade II	Steno Grade I	Minimum 05 Years experience for the post.	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment.	-
9	Steno Grade III	Steno Grade II	Minimum 05 Years experience for the post.	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment.	-
10	Steno Typist	Steno Grade III	Minimum 05 Years experience for the post.	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment .	-
11	Grade IV employees (Permanent Peon)	Assistant Grade III	Minimum 05 Years experience for the post.	**For Directorate -** 1/- Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2/- Member - Deputy Director Public Instruction. 3/- Member Secretary - Assistant Director Establishment **For District -** 1/- Chairman - District Education Officer or nominated by him. 2/- Member – One Block Education officer. 3/- Member Secretary - Assistant Director Establishment.	25% from sanctioned post of permanent peon will be promoted to Assistant Grade III of District and Directorate.

Non-Ministerial Grade -

S. N.	Name of the Post from which promotion is to be done	Name of the post in which promotion is to be done	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Investigator	Assistant Statistical Officer	05 Years	1. Chairman - District Education Officer or nominated by him. 2. Member – One Block Education officer. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment	-
2	Junior P.T.I. Low Pay Scale	Senior P.T.I. High Pay Scale	05 Years	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment	In case of non availability of proportionate departmental able PTI low pay scale, Then at the same proportionate Shiksha Karmi grade III will be promoted by the Limited Examination.
3	Librarian Low Pay Scale	Librarian High Pay Scale	05 Years	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him.	Departmental Low Pay Scale Librarian

				2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment	will be promoted. In case of non availability then in the same proportionate Librarian of school / Shiksha Karmi grade III will be promoted by the Limited Examination.
4	Data Entry Operator Low Pay Scale	Data Entry Operator High Pay Scale	05 Years	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment	-
5	Data Entry Operator Low Pay Scale	Data Entry Operator High Pay Scale	05 Years	1. Chairman - District Education Officer or nominated by him. 2. Member -- One Block Education officer. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment	-
6	Driver Grade Low Pay Scale	Driver Grade High Pay Scale	05 Years	1. Chairman - Director Public Instruction or nominated by him. 2. Member - Deputy Director Public Instruction. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment.	-
7	Driver Grade Low Pay Scale	Driver Grade High Pay Scale	05 Years	1. Chairman - District Education Officer or nominated by him. 2. Member - One Block Education officer. 3. Member Secretary - Assistant Director Establishment	-

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.